जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 337 प्रभात अजमेर, मंगलवार 8 जुलाई, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## मेवाड़ की 28 सीटों में 17 आदिवासी सीटें हैं

### इन 28 सीटों में से केवल छः में कांग्रेस जीती थी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। डॉ. सी. पी. जोशी ने उदयपुर के मेवाड़ डिवीजन में एक रैली का आयोजन किया, जो एक आदिवासी बहुल इलाका है। इस रैली में एक भी आदिवासी नेता को मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया।

अब पार्टी के लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बैठक का मकसद पार्टी को आदिवासियों से जोड़ना था या उन्हें अपमानित करना और नीचा दिखाना?

ये सवाल सिर्फ उदयपुर से नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान से उठ रहे हैं।

रैली में वरिष्ठ आदिवासी नेता रघुवीर सिंह मीणा भी मौजूद थे, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भी बोलने का मौका नहीं मिला।

इस इलाके की 28 सीटों में से 17 सीटें आदिवासी वर्ग की हैं।

यहाँ कांग्रेस को आदिवासी पार्टी बीएपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसके पास एक सांसद है, तीन विधायक हैं और दो सीटों पर वह बहुत कम अंतर से हारी थी तथा दूसरे नम्बर पर रही थी।

इस रैली में पार्टी के कई बड़े नेता बुलाए गए थे, जैसे एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधायक दल के नेता टीका राम जूली आदि। दिल्ली से मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा को भी बुलाया गया था।

- सी.पी. जोशी अपने आपको मेवाड़ का नेता जताते हैं। अतः उन्होंने, उदयपुर ट्राइबल्स का सम्मेलन आयोजित किया, पर, मंच से किसी आदिवासी को बोलने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक की रघुवीर मीणा, जो सी.डब्ल्यु.सी. सदस्य रहे हैं तथा पूर्व मंत्री भी हैं, मंच पर बैठे, पर श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सके।
- चर्चा यह है कि गहलोत ने यह राजनीतिक, जाल बिछाया है, जिसके तहत जोधपुर में उनका आधिपत्य रहेगा, उदयपुर में सी.पी. जोशी का और कोटा में शांति धारीवाल का तथा इन क्षेत्रों से सचिन पायलट को बाहर ही रखा जाएगा, रैलियों से, आम सभाओं से तथा कांग्रेस के अन्य आयोजनों से।
- पर समस्या यह है कि पिछले चुनाव में, जिन संभागों में इन वरिष्ठ नेताओं की चलती थी, वहाँ कांग्रेस बुरी तरह हारी थी।
- क्या उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के इस आयोजन में आदिवासी वोटर को साधना था या केवल दिल्ली को अपनी तथाकथित सक्रियता दिखानी, जिससे दिल्ली में कुछ स्थान मिल जाए। इस संदर्भ में सी.पी. जोशी ने दिल्ली की यात्रा की, वेणुगोपाल तथा मनिकम टैगोर से सम्पर्क साधने का प्रयास किया।
- क्या इसी प्रयास में दिल्ली से पवन खेड़ा को बुलाया गया। हालांकि, वे आदिवासी नहीं हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता, जैसे अशोक गहलोत, सी. पी. जोशी और अन्य, अपने-अपने क्षेत्रों पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जैसे गहलोत जोधपुर में, जोशी उदयपुर में और शांति धारीवाल कोटा में। और इसके पीछे का मकसद सचिन पायलट को किनारे करना है।

गहलोत की राजनीति की सोच स्पष्ट रुप से यही है कि पायलट को जितना हो सके, रैलियों से दूर रखा जाए।

समस्या यह है कि पिछले चुनावों में जिन इलाकों पर इन वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव था, वहाँ कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उस समय के मुख्यमंत्री (गहलोत) ने कई ऐसे उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की, जो उनके विरोधी खेमे से जुड़े थे।

अब मेवाड़ में आदिवासी पार्टी बीएपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के रुप में उभर रही है, लेकिन इसके बावजूद सी. पी. जोशी ने किसी भी आदिवासी नेता को मंच पर बोलने नहीं दिया।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि रंधावा वहाँ क्या कर रहे थे? क्या यह

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## हाईकोर्ट ने मलिंगा का केस धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की ओर से बिजली विभाग के एईएन से मारपीट के मामले में धौलपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे को जयपुर जिले की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पीडित हर्षाधिपति की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि उसने शक्ति प्रदर्शन किया था, जबकि उसके खिलाफ

- अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को सुनवाई के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को कहा।

मारपीट के अन्य प्रकरण भी दर्ज हैं। ऐसे में मारपीट के इस केस को ट्रांसफर करना उचित है। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्त को कहा है कि वे प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे। इसके अलावा धौलपुर एसपी गवाहों समन व नोटिस तामील कराने में सहयोग देंगे। अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए केस ऑफिसर स्कीम के तहत एक एसआई और दो एएसआई को भी सहयोग देने के लिए कहा है।

आपराधिक याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## दलाई लामा के जन्म दिवस समारोह में केन्द्रीय मंत्री रिजिजु, अरूणाचल के मु.मंत्री आदि उपस्थित रहे

### इस उपस्थिति तथा प्र.मंत्री द्वारा दलाई लामा को बधाई देने से भारत का मैसेज साफ था कि भारत, चीन की स्थिति अटपटी करने के ऐसे मौके छोड़ेगा नहीं, जब तक चीन भारत के हितों का ध्यान नहीं रखेगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। भारत द्वारा रविवार को दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर दी गई बधाई ने चीन को नाराज़ कर दिया है और चीन ने भारत को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तिब्बती धर्मगुरु को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी थीं।

गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भारतीय अधिकारियों और कुछ मंत्रियों ने इस समारोह में भाग भी लिया, जिससे चीन की नाराज़गी और बढ़ गई। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो स्वयं बौद्ध हैं, समारोह में मौजूद थे। इनके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में अपना क्षेत्र मानता है।

यह भारत की ओर से चीन को एक स्पष्ट संकेत है कि अगर चीन भारत पर धौंस जमाने की नीति अपनाता है, तो भारत भी ऐसे किसी अवसर को छोड़ेगा नहीं। सेना के उप प्रमुख ने पहले ही खुलासा किया था कि पाकिस्तान को हाल ही में "ऑपरेशन सिंदूर", जो पाकिस्तानी

- अपने 90वें जन्म दिन पर दलाई लामा ने पुरजोर ढंग से कहा कि उनका उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म की पुरानी परम्परा के अनुसार ही चुना जायेगा, पर चीन चाहता है, उत्तराधिकारी के चयन में उसकी निर्णायक भूमिका होनी चाहिए।
- चीन चाहता है, संभावित उम्मीदवारों के नाम की चिट एक "जार" में रख दी जाए तथा पर्ची निकाल कर नये दलाई लामा का नाम घोषित हो।
- इसे इतिहास व परम्पराओं का उपहास मानते हैं, दलाई लामा व बौद्ध अनुयायी। इनके अनुसार, दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है तथा किस व्यक्ति के रूप में दलाई लामा ने पुनर्जन्म लिया, उसको पहचानने की एक धार्मिक परम्परा व पद्धति है।
- पिछली बार दलाई लामा ने जिस बच्चे का चयन किया था, उसका अपहरण कर लिया था। चीन की सरकार ने, और अभी तक पता नहीं चला वह कहाँ गया।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## '3 से 5 करोड़ के बदले निजी मैडिकल कॉलेज को मान्यता देते हैं, हैल्थ मिनिस्ट्री के अफसर'

### कांग्रेस ने देश भर के 40 निजी मैडिकल कॉलेजों को नैशनल मैडिकल कमीशन (एन.एम.सी.) द्वारा मान्यता देने में करोड़ों रूपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए दावा किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। कांग्रेस ने सोमवार को देशभर के 40 से अधिक निजी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें नैशनल मैडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा 3 से 5 करोड़ रुपये तक की रिश्वत, जाली रिकॉर्ड और झूठी निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से यह मान्यता दी गई थी।

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. मोनिका मेहरोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घोटाले के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, यह एक स्पष्ट मामला है, जिसमें गंभीर लापरवाही और व्यवस्थित भ्रष्टाचार हुआ है, और यह सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा तंत्र है, जो यह जांच कर सके कि मान्यताएँ किस आधार पर दी गई थीं।

- कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. मोनिका मेहरोत्रा ने कहा कि यह संगठित भ्रष्टाचार का मामला है, और पूछा कि क्या यह जानने का कोई मैकनिज़्म है कि एन.एम.सी. द्वारा निजी कॉलेजों को किस आधार पर मान्यता दी जाती है।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह सारी कहानी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में शुरु हुई है। निजी मैडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज़ अफसर ही लीक करते थे।
- उन्होंने कहा, इन दस्तावेज़ों में आतंरिक नोटिंग, निरीक्षण के कार्यक्रम, निरीक्षण करने वाले अफसर आदि की जानकारी होती है। यह जानकारी निजी मैडिकल कॉलेजों के एजेन्ट्स को दे दी जाती है। फिर वे निरीक्षण के समय फर्जी फैकल्टी, नकली मरीज़, नकली बायोमैट्रिक की व्यवस्था करते हैं। कई बार तो इस सब में अधिकारी ही उनकी मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं का मानना है कि 3 से 5 करोड़ रुपये तक

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## एसआई 2021 पेपर लीक की सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की बहस अधूरी रहने पर अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार को तय की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया,

- महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने याचिका को सारहीन बताया।

जिसमें याचिका को सारहीन बताया गया व खारिज करने की गुहार की गई। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने समान मामले में पूर्व में भी याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने के आधार पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने यह तथ्य अदालत से छिपाया है। इसके अलावा,

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## जज के पद पर नियुक्ति के लम्बे इंतज़ार से उकताकर दावेदारी वापस ले रहे हैं कई वरिष्ठ वकील

### वकीलों का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की अनुशंसा के बाद भी उनकी नियुक्ति में टालमटोल की जा रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। वरिष्ठ वकीलों में इन दिनों निराशा बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम द्वारा अनुशंसा किये जाने के बावजूद, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्तियों को रोक रही है। इस समय कम से कम 29 वकील केन्द्र सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने जनवरी 2023 से अप्रैल 2025 के बीच अनुशंसा की थी।

इनमें से दो, मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सुधाकर दातार और दिल्ली की श्वेताश्री मजूमदार, पारदर्शिता की कमी और मनमानी देरी के कारण अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुके हैं।

मुंबई में वरिष्ठ सिविल एवं कॉमर्शियल केसों के वकील दातार ने इसलिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली, क्योंकि नौ महीने हो गए हैं और उनकी फाइल अभी भी वहीं की वहीं है। कोलीजियम ने सितंबर 2024 में चार नामों की अनुशंसा की थी, जस्टिस अनखड़ और नेर्लीकर ने 5 जुलाई को शपथ ली। दातार कहते हैं कि वे 55 साल के हो चुके हैं और जानते हैं कि उनका कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनका कहना है कि और इंतज़ार करना उनके सम्मान और प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।

- मुम्बई के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सुधाकर दातार सहित चार वकीलों को सितम्बर 2024 में हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। सुधाकर ने कहा, दो जज को शपथ दिलाई गई है। पर, उनकी फाइल जस की तस है। यह इतंज़ार अपमानजनक है, इसलिए मैंने दावेदारी वापस ले ली है।
- दिल्ली के एक वरिष्ठ वकील श्वेताश्री मजूमदार को भी अगस्त 2024 में हाई कोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम द्वारा। श्वेताश्री का मैडिकल टैस्ट एक अन्य दावेदार तेजस कारिया के साथ हुआ था। कारिया को तो नियुक्ति मिल गई, पर, श्वेताश्री को नहीं, श्वेताश्री ने भी दावेदारी वापस ले ली है।

एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के केसों के लिए जानी जाती हैं, ने कुछ दिन पहले अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि अगस्त 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। उनका मेडिकल टैस्ट तेजस क़ारिया के साथ हुआ था, जिनकी नियुक्ति को 12 फरवरी को मंजूरी दे दी गई।

क़ारिया, अजय डिगपॉल तथा हरीश वैद्यनाथन शंकर, जो एक ही बैच का हिस्सा थे, के नाम केन्द्र द्वारा इस साल की शुरुआत में मंजूर किए गए थे।

नियुक्तियों में देरी ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें केन्द्र "पिक एंड चूज़" का तरीका अपना रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल, जिनकी दिल्ली उच्च न्यायालय में

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## शताब्दी वर्ष में एक लाख स्थानों पर हिंदू सम्मेलन करेगा संघ

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष में समाज के हर वर्ग से सम्पर्क करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने और धर्म-जागरण के लिए देश में

- आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि इनका आयोजन हिंदुओं में धार्मिक पुनर्जागरण के लिए किया जा रहा है।

एक लाख से ज्यादा स्थानों पर ' हिंदू सम्मेलन' आयोजित करेगा।

इस अभियान के तहत, संघ के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से सम्पर्क-संवाद करेंगे। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों के तीन दिवसीय सम्मेलन

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'जेन स्ट्रीट की हेराफेरी पर सेबी ने इतनी देर से मुँह क्यों खोला'

### राहुल गांधी ने अमेरिकन ट्रेडिंग कम्पनी जेन स्ट्रीट को सेबी द्वारा शेयर इन्डैक्स में हजारों करोड़ रूपए की हेराफेरी के आरोप में बैन करने पर यह टिप्पणी की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 07 जुलाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज स्टॉक मार्केट रैगुलेटर सेबी पर "चुप रहने" और सरकार पर जेन स्ट्रीट नामक उस ट्रेडिंग फर्म के मामले में आंखें बंद करके बैठने का आरोप लगाया, जो अब इंडेक्स में हेरफेर करने की दोषी ठहराई गई है।

मार्केट रैगुलेटर ने न्यूयॉर्क आधारित हैज फंड, जेन स्ट्रीट (जे.एस.) को कैश, फ्यूचर्स ऑप्शंस (एफ. एण्ड ओ.) मार्केट में एक साथ दांव लगाकर मुनाफा कमाने के लिए इंडेक्स में हेरफेर करने का दोषी पाया है। सेबी ने इस हैज फंड की बाज़ार तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है और इसके मुनाफे में से 4,843 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को जब्त कर लिया है।

जांच में यह पाया गया कि जे.एस. ने जनवरी 2023 से मई 2025 तक की जांच अवधि में शुद्ध रूप से 36,671 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

- सेबी ने इस अमेरिकन ट्रेडिंग कम्पनी पर शेयर इंडैक्स में हेराफेरी करके 36,677 करोड़ रूपए का फायदा कमाने के आरोप की जाँच की और कम्पनी को दोषी पाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया है।
- राहुल गांधी ने इस प्रकरण को उठाते हुए सरकार पर अब तक आँखे मूँदे रखने का आरोप लगाया और एक्स पर लिखा कि, उन्होंने गत वर्ष भी कहा था कि फ्यूचर एण्ड ऑप्शन्स (एफ. एण्ड ओ.) बाज़ार बड़े खिलाड़ियों का खेल बन गया है, छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है।
- ज्ञातव्य है कि विपक्ष ने बार-बार सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
- जेन स्ट्रीट की स्थापना सन् 2000 में हुई थी। कम्पनी 2020 में भारत आई थी और इसकी चार शाखाएँ भारत में एक्टिव हैं, इनमें से दो भारत में हैं तथा एक-एक हाँगकाँग व सिंगापुर में काम करती हैं।

राहुल गांधी ने अपने एक्स हैण्डल पर हिन्दी में लिखा, "मैंने 2024 में स्पष्ट रूप से कहा था कि फ्यूचर्स एण्ड ऑप्शन्स (एफ.एण्ड ओ.) मार्केट अब बड़े खिलाड़ियों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है, और छोटे निवेशकों की जेब लगातार खाली हो रही है।"

अब सेबी खुद यह स्वीकार कर रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ का हेरफेर किया। सेबी इतनी देर तक चुप क्यों रहा? किसके आदेश पर सरकार अपनी आंखें बंद किए बैठी रही? और कितने और बड़े शार्क अब भी खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं?

राहुल ने आगे कहा, "हर मामले में यह स्पष्ट है, सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है और सामान्य निवेशकों को बर्बादी के कगार पर धकेल रही है।"

विपक्ष ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लगातार हमला किया है।

राहुल ने यह भी याद दिलाया कि कैसे पिछले साल सितंबर में उन्होंने यह पोस्ट किया था, "अनियंत्रित एफ. एण्ड ओ. ट्रेडिंग 5 सालों में पैंतालीस गुना बढ़ी है। 3 सालों में 90 प्रतिशत छोटे निवेशकों ने 1.8 लाख करोड़ खो दिए हैं। सेबी को उन तथाकथित बड़े खिलाड़ियों के नाम उजागर करने चाहिए, जो उनके खर्चे पर मालामाल हो रहे हैं।"

जेन स्ट्रीट की स्थापना सन् 2000 में हुई थी और इसका पिछले साल का वार्षिक राजस्व 20.5 बिलियन था।

जेन स्ट्रीट अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी फर्म के रूप में प्रस्तुत करती है, जो दामों को स्थिर और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करती है और बाज़ार की चाल को अच्छी तरह समझती है।

जेन स्ट्रीट भारत में चार समूह संस्थाओं के माध्यम से काम करती है, जिनमें से दो संस्थाएं भारत में स्थित हैं, जबकि अन्य दो हांगकांग और सिंगापुर में हैं।

फर्म ने दिसंबर 2020 में अपनी पहली भारत इकाई शुरू की थी। अन्य दो एशियाई संस्थाएं भारत में पंजीकृत विदेशी निवेशक के

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## थप्पड़ कांड में निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड मारने के मामले में टोंक की एससी, एसटी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक

- मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा की रिविज़न याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की रिवीज़न याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )